8

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
21/4/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w.O. 39 R 1&2 CPC सुनी गई। धारा – 212 RT Act r.w.O. 39 R 1&2 CPC के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिये इसे निम्न 03 बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है :–	

(अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :– प्रार्थी० प्रार्थीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम आकोदिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी मूल ख० नं० 39 रकबा 29 बीघा 16 बिस्वा, ख० नं० 40 रकबा 0-15 बीघा व ख० नं० 41 रकबा 4-0 बीघा कुल कित्ता 03 कुल रकबा 34-11 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पिता प्रताप पुत्र शंकर के खाते दर्ज थी और प्रताप की संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी थी। वादग्रस्त भूमि के प्रताप वल्द शंकर की Ancestral property होने से धारा – 6 Hindu Succession Act के अनुसार प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहित था लेकिन खातेदार प्रताप ने मूल ख० नं० 39 में से अपने हिस्से ½ के 2/3 का बैंचान अप्रार्थी 2 को वर्ष 2004 में कर दिया था जो अवैध होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी० प्रार्थीगण ने आगे तर्क किया कि प्रताप ने बाद अप्रार्थी 4 गीताबाई को भी रजिस्ट्री करा दी जिसका नामा० दर्ज नहीं हुआ है। आगे तर्क किया कि अप्रार्थी 1 रूपाबाई, प्रताप के भाई गणेश की पुत्री नहीं होने पर गलत [illegible] रिकार्ड में दर्ज करा लिया है। [illegible] माता मगनबाई गणेश को अकेला [illegible] पहले ही चली गई थी अतः उसका भी गणेश के [illegible] पर गलत रूप से नाम दर्ज किया गया था जबकि सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म

अतः पैतृक आराजी का खातेदार प्रताप वल्द शंकर द्वारा अप्रार्थी 2 व 4 को की गई रजिस्ट्रीयां अवैध व शून्य होने एवं प्रार्थीगण का जन्म से ही हिस्सा निहित होने से प्रताप की भूमि पर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अभि० अप्रार्थी 1 ने उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुऐ कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता प्रताप के दो अन्य भाई गणेश व देवीलाल थे लेकिन प्रताप ने राजस्व कार्मिकों व ग्राम पंचायत के साथ षडयंत्र करके भाई गणेश को लाऔलाद फौत बता कर एवं देवीलाल को वर्षों से लापता (missing) दिखाकर उनके हिस्से 1/3-1/3 पर स्वयं के पक्ष में विधि विरुद्ध रूप से नामान्तरण दर्ज करा लिया था जिसकी जानकारी मिलते ही गणेश वल्द शंकर के विधिक वारिसान - मगनबाई बेवा व रूपाबाई (पुत्री) ने न्यायालय सहायक कलेक्टर झालावाड़ के समक्ष वाद सं० 84/464 उनवान मगनबाई बनाम प्रताप दायर किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार अप्रार्थी 1 व माता मगनबाई को खातेदार कृषक घोषित किया गया था और जरिये नामा० सं० 232 दिनांक 13/02/2001 खातेदार दर्ज हुई थी। प्रार्थीगण या पिता प्रताप ने आज दिनांक उक्त निर्णय को (व नामा० सं० 232) को सक्षम में न्यायालय में Appeal पेश नहीं [illegible] जिससे साबित है कि प्रताप व प्रार्थीगण ने SDM Jhalawar के निर्णय को स्वीकार कर लिया था। अप्रार्थी 1 विगत 25-30 वर्षों से रिकार्ड खातेदार व कब्जाधारी है जिसके विरुद्ध बिना किसी आधार के एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

रूप से इस न्यायालय ने दिनांक 04/3/2021 को स्थगन जारी कर दिया था जो खारिज योग्य है। आमि० अप्रार्थी 1 द्वारा आगे तर्क किया गया कि मूल खातेदार प्रताप वल्द शंकर, अप्रार्थी 1 रूपाबाई व माता मगनबाई, के मध्य वादग्रस्त भूमि का न्यायालय उपखंड अधिकारी पिड़ावा के निर्णय व डिक्री से 2005 मे खाता विभाजन होकर पृथक-पृथक खाते दर्ज हो चुकी है। अप्रार्थी 1 पृथक खातेदार व रिकार्डेड खातेदार होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थी 1 के पक्ष मे है।

आमि० अप्रार्थी 2 ने प्रार्थीगण की बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीया ने रिकार्डेड खातेदार प्रताप वल्द शंकर से पूर्व ~~[illegible]~~ रजि० विक्रय पत्र दिनांक 09/11/2004 से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। अप्रार्थीया विगत 22 वर्षो से लगातार काबिज काश्त होकर तार फेंसिंग कर बर्षो से संतरे का बगीचा लगा रखा है। अप्रार्थीया की sale deed को आज तक किसी भी civil court मे challenge नहीं किया गया है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध stay order जारी करना विधि विरूद्ध है। अपने support मे 05 wi[illegible] के शपथ पत्र पेश किये [illegible] की है जो अप्रार्थीया के [illegible] confirm करते है। विवादित [illegible] प्रार्थीगण के पिता की ancestral property नहीं होकर केवल पिता शंकर से प्राप्त व कोर्ट से विभाजित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही ...
	संपति है। अनावश्यक रूप से गैर कानूनी रूप से भिन्न-भिन्न नामो से अविधिक suit दायर कर अवैध स्टे आर्डर ले रखे है जिससे रिकार्ड्स खातेदार, सद्भावी क्रेता व शांतिपूर्ण कब्जा धारी को उसके विधिक (Legal rights) अधिकारो से वंचित कर अपूरणीय क्षति भी कारित कर रखी है। प्रताप ने अप्रार्थी 4 को भी sale deed से भूमि बेचान कर दी है लेकिन अभी तक mutation दर्ज नही होने से प्रताप हिस्सा 1/3 (खेक खाते मे) पर सहखातेदार दर्ज है लेकिन ownership नही है। अब प्रार्थीगण व अप्रार्थी 4 मिल गये है।
	अभि0 अप्रार्थी 3 ने बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता की पैतृक संपत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। प्रताप का वादग्रस्त भूमि मे हिस्सा 1/3 निहित था, शेष 2/3 भाग प्रार्थीगण का था लेकिन प्रताप ने पूरी भूमि का बेचान कर दिया जो गलत है। मगनबाई की पुत्री अप्रार्थी 1 ने राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज होने का गलत फायदा उठाकर इस न्यायालय से प्र... 149/2005 देवीलाल उर्फ दयालाल बनाम ... मे वर्ष 2005 से ही stay order होने पर भी वर्ष 2019 मे ख0न0 605/39 का बेचान रामसिंह व राजाराम गुर्जर को किया था जिसका नामान्तरण दर्ज नही हुआ है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अहकाम व हुक्म में	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	अतः वादग्रस्त भूमि को खुर्द-बुर्द होने एवं गलत होने से बचाने के लिए राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित है।	
	उभय पक्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम आकोडिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत 2072-75 के अनुसार खाता सं० 40 ख०नं० 39 रकबा 3.7686 है० प्रार्थीगण के पिता प्रताप हिस्सा 1/3 व अप्रार्थी सं० 2 मुन्नीबाई 2/3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जबकि खाता सं० 199 ख०नं० 40, 41 व 605/39 अप्रार्थी 1 रूपाबाई की पृथक खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अतः स्पष्ट है कि अप्रार्थी 1 रिकार्डेड खातेदार कृषक (sole Khatedar tenant) है जबकि अप्रार्थी 2 Recorded co-tenant है। खाता सं० 40 में से भी मृतक खातेदार प्रताप ने अपना शेष हिस्सा 1/3 का बेचान जर्ये registered sale deed अप्रार्थी सं० 4 गीताबाई को किया जा चुका है लेकिन नामान्तरण दर्ज नहीं होने से विक्रेता प्रताप का ही नाम दर्ज है। माननीय supreme court द्वारा अनेक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "mutation entries do not Confer any title."	
	अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में ... के actual ownership ... के पक्ष में निहित है, ना कि ... खातेदार ... में निहित है।	
	प्रार्थीगण के पिता प्रताप द्वारा किये	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनीशियल्स जज

गये वर्षों पुराने रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों (registered sale deeds) को किसी सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा खारिज किये जाने का भी कोई साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है।

प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैतृक आराजी (ancestral property) बताकर मूल अनुतोष के रूप मे जन्म से ही हक व अधिकार निहित होना बताया है। यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण हिन्दू है। आराजी की हिन्दू विधी के अनुसार "चतुर्थ पुरूष पीढ़ी से विरासत मे अविभाज्ति रूप से प्राप्त संपत्ति पैतृक आराजी मानी गई है"। हस्तगत प्रकरण मे वादग्रस्त भूमि का विरासत मे सयुक्त रूप से 4th male generation यानी प्रताप के पिता शंकर के दादा जी से प्राप्त होने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। शंकर के फौत होते तीनो पुत्रो प्रताप, गणेश व देवीलाल को हिस्सा 1/3-1/3 प्राप्त हुई थी। शंकर को यह भूमि कहां से, कैसे (विरासत/दान/विक्रय पत्र etc) प्राप्त हुई? इसका कोई साक्ष्य नहीं है। फिर भाई गणेश (लावल्द/औलाद फौत बताकर) व देवीलाल (लापता बताकर) का हिस्सा भी नामान्तरण सं० 54 दिनांक 19/12/1975 से प्रताप के खाते दर्ज कर दिया गया था। [illegible] Court झालावाड के निर्णय [illegible] द्वारा पेश ACM [illegible] से जाहिर है कि [illegible] 088 [illegible] के अवलोकन [illegible] रूपाबाई (पुत्री) को [illegible] जमनाबाई (बेवा) व मृतक गणेश वल्द शंकर के वारिसान मानते हुये न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि किता 3 रकबा 34-11 बीघा मे हिस्सा 1/2 पर खातेदार घोषित किया था (प्रकरण सं० 464/.. [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मगन बाई वगैरह बनाम प्रताप वगैरह u/s 88, 91, 53, 183 RT Act) घोषित किया था और फिर नामा० सं० 232 दिनांक 13/02/2001 से सहखातेदार दर्ज हुई थी। प्रार्थीगण द्वारा पेश जमाबंदी संवत 2060-63 के अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय उपखंड अधिकारी, पिड़ावा के निर्णय व डिक्री की पालना मे दर्ज नामान्तरण सं० 472 दिनांक 07/01/2005 से प्रताप, मुन्नीबाई (अप्रार्थी 2) एवं कृपाबाई व मगनबाई के मध्य बटवारा होकर भूमि पृथक-पृथक खाते दर्ज हुई थी अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि ना तो 4th male generation से प्राप्त हुई है और खाता विभाजन होने से शामलाती (संयुक्त परिवार की सम्पत्ति) का गुण भी समाप्त हो गया है और इसलिए ancestral property साबित नहीं है।

The Hindu Succession Act 1956 की धारा-6 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी संपत्ति मे प्रत्येक सहदायिक का जन्म से हक व अधिकार (Notional share u/s 20) निहित होता है (under the Mitakshara school of Hindu law, Co-parcenary property is ancestral property shared among co-parceners by birth from 4th male generations). मिताक्षरा हिन्दू विधी मे केवल एक male ही co-parcener हो सकता था [illegible] 2005 मे The Hindu Succession [illegible] मे संशोधन कर daughter (female) [illegible] Co-parcener माना गया है।

A Co-parcener gets the rights to Co-parcenary property (ancestral property) from the moment he

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

8.

is born, his/her interest is equal to his father and the Karta (कर्ता) of the Hindu Joint family can not alienated (sell or transfer or any other deal) in a way that denies him from the Hindu joint family property.

हिन्दू उत्तराधिकार की मिताक्षरा विधि के अनुसार- "A co-parcener has the right to ask for partition without the father's Consent. A co-parcener can not transfer the property in favour of one co-parcener but has to renounce the property so that it can be equally divided among the remaining co-parceners."

अतः स्पष्ट है कि "Senior most male member with lineal male descendants (an ancestor through his son, grand sons, great-grand sons and so on) till 4th male generations including him will form a coparcenary." हस्तगत प्रकरण में ग्राम आकोदिया की वादग्रस्त भूमि खसरा नं० 39, 605/39, 40 व 41 किता 4 कुल रकबा 34-11 बीघा भूमि Senior most male Khatedar मृतक शंकर से विरासत (केवल) में प्रताप, गणेश व डेवीलाल को 1/3-1/3 प्राप्त होकर न्यायालय ACEM Jhalawar के निर्णय दिनांक 26/08/1988 से प्रताप एवं गणेश के LRs (मगनबाई + रूपाबाई) के हिस्से 1/2-1/2 दर्ज हुई है अर्थात केवल एक पुरुष पीढ़ी से (one male generation) तक ही में शामलाती आकर फिर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के निर्णय व डिक्री से प्रताप, रूपाबाई व अन्य के मध्य खाता विभाजन (बटवारा) होकर नामा नं० 472 dt 07/01/2005 से पृथक-पृथक खाते दर्ज हुई थी परिणामतः वादग्रस्त भूमि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
Hindu joint family की संयुक्त संपत्ति (Joint property) नहीं होकर मृतक प्रताप व अप्रार्थी 1 की (divided and seperate property) पृथक व विभाजित संपत्ति है अर्थात यह संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त सहदायिकी संपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन से साबित है कि वादग्रस्त भूमि कुल रकबा 34-11 बीघा मृतक प्रताप की (हिस्सा 1/3) विरासत की संपत्ति (inherited property) तो है लेकिन ancestral property (पैतृक आराजी) नहीं है। माननीय supreme court ने विभिन्न निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है कि "The property loses its ancestral charactor and become self-acquired property in cases where the ancestral property has been partitioned". Angadi chandranna v/s shankar (April 2025) मामले में भी हाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "After a formal joint family property partition, each share automatically becomes self-acquired for the allottee, granting full freedom to sell, gift or transfer indendently." उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम आकोडिया की [illegible] खातेदार प्रताप वल्द शंकर की [illegible] से ही प्राप्त व विभाजित (divided) [illegible] तथा ACEM Jhalawar के निर्णय Dt. [illegible]/8/1988 को किसी अपीलीय कोर्ट द्वारा खारिज नहीं करने के आधार पर और राजि० विक्रयपत्रों के मूल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

भूमि का बेचान अप्रार्थी 2 व 4 को किये जाने (रिकार्ड खातेदार कृषक) से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही होकर अप्रार्थीगण 1, 2 व 4 के पक्ष मे साबित

(ब) सुविधा का संतुलन :- प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के ~~पक्ष~~ विरुद्ध साबित है। वादग्रस्त भूमि मृतक प्रताप मे केवल inherited prop होकर ancestral property साबित नही होने, अप्रार्थी 1 व 2 के रिकार्ड खातेदार कृषक दर्ज होकर पृथक खाते दर्ज होने, भूमि के स खातेदारो के मध्य 2005 मे SDO court से बटवारा (partition) होने और रजिस्टर्ड वि पत्रो को competent civil court से आज तक खारिज नही करने से प्रार्थीगण के पक्ष मे स्थगन जारी करने से अप्रार्थी 1, 2, 4 को अत्याधिक असुविधा (severe inconvenience कारित हो रहा है और होगा। रिकार्ड खातेदारो को अकारण ही अपने खातेदारी एव अन्य कानूनी अधिकारो से वंचित कर रखा है। गवाहो के बयानो व बहस से यह भी जाहिर है कि अप्रार्थी 2 मुन्नी बी वर्ष 2004 से कब्शुदा आराजी पर काबिज काश्त होकर संतरे का बगीचा लगातार तार फेंसिंग कर रखी है / [illegible] मान कर प्रथम के पक्ष मे [illegible] / नामा G० 54 Dt [illegible], द्वारा [illegible] में अपने जवाब प्र० [illegible] में स्वयं के लिए कोई अनुतोष क्लेम नही किया है, केवल प्रार्थीगण के claim का ही support किया है / प्रताप द्वारा बेचान शुदा (खातेदारी भूमि) भूमि पर

...खण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
पुत्री - प्रार्थीगण का अब कोई हक व अधिकार शेष नहीं बचा है फिर भी प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 04/09/2021 को अन्तरिम (interim stay) अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जो वर्तमान में कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन जारी करने से एक ओर अप्रार्थी 1 व 2 को स्वयं की रिकार्ड खातेदारी के अधिकारों व अन्य कानूनी अधिकारों से वंचित किया जायेगा, बल्कि वाद - बहुलता (multe-plicety of suits) भी बढ़ायेगा। अप्रार्थीगण को (अपेक्षाकृत) अत्यधिक नुकसान भी कारित करेगा। अप्रार्थी 1, 2 व 4 को भूमि विकास, भू - सुधार, कृषि ऋण, अन्य सरकारी सहायताओं, कृषि कार्य आदि से भी वंचित कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करना ही होगा। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रकरण में सुविधा का सतुंलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी 1, 2 व 4 के पक्ष में साबित है। (स) अपूरणीय क्षति :- प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन नहीं होने पर भी स्थगन जारी कर अप्रार्थीगण को (जो कि रिकार्ड खातेदार कृषक है) को खातेदारी अधिकार, [illegible] व विकास के अधिकार, कृषि ऋण, अन्य सरकारी सहायताओं के अधिकार [illegible] कानूनी अधिकारों से रोकने पर अप्रार्थीगण को ही अपूरणीय क्षति कारित होगी।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	12.
	2. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिगण का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w.o. 39 R1&2 CPC खारिज (dismiss) किया जाता है। प्रार्थिगण के पक्ष में पूर्व में जारी अन्तरिम स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(Signature) /04/2026

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला झालावाड़ (राज०)

(Seal: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला झालावाड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner